सरयू राय

42, जे. रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001 • 402, लोटस अपार्टमेन्ट, डोरंडा, राँची - 834002
दूरभाष : 0657-2249255, 0651-2482701, 9431114466, • ई-मेल : saryuroy@gmail.com

948/10 — 15/07/2010

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल
झारखंड, राँची।

विषय : गरीबी रेखा के उपर स्तर के (ए.पी.एल.) कार्डधारी नागरिकों को राशन दुकान से मिलने वाली सामग्रियाँ नहीं मिलने तथा मिलने पर भी मात्रा में कटौती के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में आपका ध्यान निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ:–

1. पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर में ए.पी.एल. कार्डधारियों के नाम शिकायत है कि उन्हें राशन दुकानों से अनाज एवं अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

2. अगर किसी को सामग्रियाँ कभी–कभार मिल भी जाती है, तो मात्रा में काफी कटौती होती है।

3. मई के पहले तक कुछ राशन दुकानों से प्रति ए.पी.एल. कार्डधारी 19 किलोग्राम गेहूँ और चावल उचित मुल्य पर मिलता था परंतु मई महीने से इसकी मात्रा घटा कर केवल 5 किलोग्राम अनाज (चावल / गेहूँ) दिया जा रहा है।

4. इस कटौती के बारे में मैंने पूर्वी सिंहभूम जिला अनुभाजन पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि अब 19 किलोग्राम अनाज की जगह 5 किलोग्राम ही दिया जा रहा है क्योंकि राज्य से अनाज की आपूर्ति कम हो रही है।

5. आपको मालूम होगा कि राज्य के शहरों में बी.पी.एल. सूची में शामिल होने की अर्हता रखने वाले काफी लोग काफी लोग इस सूची से बाहर है जिनके जीवन यापन के लिए एक मात्र सहारा ए.पी.एल. कार्डधारियों को मिलने वाला अनाज ही है। बाजार में खाद्यान्न सामग्रियों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि सबसे कम कीमत वाला अनाज भी 22 से 25 रू0 प्रति किलो के भाव से मिल रहा है इससे आम लोगों को दो जुन की रोटी मिलने में भी कठिनाई का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि ए.पी.एल. श्रेणी के कार्डधारियों के लिए अनाज आवंटन की मात्रा बढ़ाई जाय। वैसे तो प्रति ए.पी.एल. परिवार से कम से कम 35 किलोग्राम अनाज (गेहूँ / चावल) की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। कम से कम तत्काल पहले मिलने वाले 19 किलोग्राम प्रति ए.पी.एल. कार्डधारी अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू राय

(सरयू राय)
पूर्व विधायक

Scanned with OKEN Scanner